बिहार सरकार

सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग

ज्ञापांक–विज्ञा0(4)01–04 / 2024 पार्ट–1 2423 सू0ज0स0वि0, पटना दिनांक 29/07/25

आवेदन आमंत्रण सूचना

सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के द्वारा बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाईन मीडिया नियमावली–2024 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या–09, 10 एवं 11, सू0ज0स0वि0, बिहार, पटना दिनांक–30.04.2025 तथा अधिसूचना संख्या–457, 458 एवं 459 दिनांक–23.07.2025 के द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया को सूचीबद्ध किया गया था।

बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाईन मीडिया नियमावली–2024 अन्तर्गत सूचीबद्धता के लिए इच्छुक सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाईन मीडिया से पुनः दिनांक– 01/08/25 के अपराह्न 12:00 pm बजे तक की अवधि में वांछित कागजातों के साथ विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते है। आवेदन https://eadvtprd.bihar.gov.in/smempanel/smdefault.aspx पर online किया जाना है। जिन आवेदकों का online आवेदन नियत तिथि एवं समय तक अप्राप्त होगा उनके आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

नोट :– बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाईन मीडिया नियमावली–2024 के अंतर्गत दिनांक–30.04.2025 एवं दिनांक–23.07.2025 को निर्गत सूचीबद्धता संबंधी अधिसूचना दिनांक–31.03.2027 तक मान्य रहेंगी। इस अधिसूचना के अंतर्गत सूचीबद्ध एजेंसियों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

आवेदन की प्रक्रिया :

1. विस्तृत जानकारी, बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाईन मीडिया नियमावली–2024, आवेदन का प्रपत्र, Frequently Asked Questions (FAQ) तथा भरे हुए आवेदन प्रपत्र का नमूना विभागीय वेबसाईट state.bihar.gov.in/prdbihar पर उपलब्ध है।
2. आवेदक उक्त वेबसाईट पर दिये गये लिंक के माध्यम से ऑनलाईन प्रपत्र में आवश्यक विवरणी भर कर आवेदन करेंगे।
3. ऑनलाईन किये गये आवेदन का प्रिंट निकाल कर सभी आवश्यक कागजात संलग्न करते हुए, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, सूचना भवन, नेहरू पथ, पटना–800015 के स्थापना शाखा को डाक के माध्यम से अथवा हाथों–हाथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
4. आवेदन करने में किसी तरह की असुविधा होने पर मो0नं0–7004982801 / 8757558811 / 9122329963 पर संपर्क किया जा सकता है।

आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले कागजात :–

i. आवेदन की तिथि से कम से कम एक वर्ष पूर्व से अस्तित्व में होने का प्रमाण।
ii. मीडिया के नाम और पंजीकरण से संबंधित दस्तावेज, (यदि सोशल मीडिया फर्म के नाम से संचालित हो)।

iii. संस्था/कम्पनी का जी०एस०टी० प्रमाण पत्र (विगत 01 वर्ष के अद्यतन रिटर्न सहित) अथवा व्यक्तिगत स्तर पर संचालित मीडिया के लिए संचालक के आयकर रिटर्न का प्रमाण पत्र (विगत 01 साल का)।

iv. मीडिया संस्था अथवा संचालक के PAN कार्ड की छायाप्रति।

v. संस्था अथवा व्यक्ति के बैंक खाते का विवरण।

vi. संस्था के अधिकृत व्यक्ति/व्यक्तिगत स्तर पर संचालित मीडिया के संचालक का आधार कार्ड की छायाप्रति।

vii. संबंधित मीडिया के अधिकृत व्यक्ति का संपर्क विवरण।

viii. यूनीक यूजर/एक्टिव यूजर की गणना हेतु 06 महीने के औसत को आधार माना जाएगा। वेब मीडिया को वेबसाइट ऑडिटर (टूल या सॉफ्टवेयर) द्वारा प्रमाणित विगत 06 माह के औसत मासिक यूजर काउंट की रिपोर्ट सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग में जमा करानी होगी।

ix. सोशल मीडिया की सूचीबद्धता हेतु आवेदन के समय पिछले 06 माह की एनालिटिक्स रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

x. सूचीबद्धता हेतु मीडिया को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा, जिसके साथ संबंधित वेब मीडिया के लिए एवरेज यूनिक यूजर प्रति माह तथा सोशल मीडिया के लिए सब्सक्राइबर/फॉलोअर्स आदि का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

xi. कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ जिसमें निम्नलिखित बातें अंकित रहेंगी :–

(a) आवेदक/संस्था के ऊपर किसी भी प्रकार के आपराधिक, राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी, अनैतिक गतिविधियों, गंभीर अपराधों से संबंधित किसी भी थाने में मामले दर्ज नहीं हैं।

(b) वेब मीडिया अथवा सोशल मीडिया अकाउंट का पूरा स्वामित्व आवेदक का है।

(c) आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई सभी जानकारियाँ सही हैं तथा आवेदन के साथ दिये गये दस्तावेज सही और प्रामाणिक हैं। यदि प्रस्तुत की गई जानकारी भविष्य में गलत पाई जाती है तो संबंधित मीडिया की सूचीबद्धता रद्द कर दी जायेगी तथा सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग द्वारा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा सकेगी।

xii. सभी दस्तावेज स्वअभिप्रमाणित होने चाहिए।

28/07/25.

(वैभव श्रीवास्तव)
निदेशक
सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2493 सू0ज0स0वि0, पटना, दिनांक 29/07/25

प्रतिलिपिः–उप निदेशक (विज्ञा0), सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशन के लिए तथा विभागीय IT मैनेजर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/07/25.

निदेशक